

अनुदान संख्या 30 - पर्यावरण और वन मंत्रालय
GRANT No. 30-MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1517,95,00		
पूरक	Supplementary	100,28,00	1618,23,00	1563,66,59
				-54,56,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6,83,65
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	21,05,00	19,57,73	-1,47,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			26,50

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (5456.41 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 10028.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 54 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं ।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings(Rs.5456.41 lakhs) constituted 54 percent of the supplementary grant of Rs.10028.00 lakhs obtained in March, 2008 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services	1533.00	1410.14	-122.86
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"			
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life			
मू.	O.	48681.00		
पू.	S.	4131.00	61699.12	60226.10
पु.	R.	8887.12		-1473.02

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	13510.00		
पू.	S.	490.00	182.34	-182.34
पु.	R.	-13817.66		
मुख्य शीर्ष "3435" परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment			
मू.	O.	68210.00		
पू.	S.	5407.00	71601.79	69422.49
पु.	R.	-2015.21		-2179.30
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	19851.00		
पु.	R.	6262.10	26113.10	25307.86
				-805.24

(I) 14242.35 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 5.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 14005.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "पर्यावरण वानिकी - वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण" - 300.00 लाख रु.;

(ख) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम" -

(I) Provision of Rs.14242.35 lakhs(including supplementary grant of Rs.5.00 lakhs under one head) remained wholly unutilised under twenty four heads; of these Rs.14005.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Environment Forestry - Wild Life - Wild Life Preservation - Central Zoo Authority" - Rs.300.00 lakhs;

(b) "Afforestation and Eco - Development - National Afforestation and Ecology Development Programme" -

- (i) "राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड" - 220.00 लाख रु.;
- (ii) "राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" - 5500.00 लाख रु. (400.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित)थे;
- (ग) "पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन/ शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम" - 250.00 लाख रु.;
- (घ) "राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" - 585.00 लाख रु. (85.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);
- (ङ) "वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवन" -
- (i) "एकीकृत वन संरक्षण स्कीम" - 2350.00 लाख रु.;
- (ii) "मुली बांसों का वृंद पुष्पण" - 2700.00 लाख रु.;
- (च) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण" -
- (i) "परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सहायता" - 350.00 लाख रु.;
- (ii) "परियोजना हाथी" - 250.00 लाख रु.;
- (छ) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राणिउद्यान - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" - 500.00 लाख रु.।
- (ज) "पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम" -
- (i) "जीव मंडल रिजर्व" - 150.00 लाख रु.;
- (ii) "मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली और आर्द्र भूमि" - 150.00 लाख रु.; और
- (i) "National Afforestation and Eco-Development Board" – Rs.220.00 lakhs;
- (ii) "National Afforestation Programme" – Rs.5500.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.400.00 lakhs);
- (c) "Environment Research and Ecology Regeneration/Education/Training/ Extension – Environment Education and Training Scheme" – Rs.250.00 lakhs;
- (d) "Prevention of Pollution of National Rivers – National River Conservation Programme" – Rs.585.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.85.00 lakhs);
- (e) "Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration" –
- (i) "Integrated Forest Protection Scheme" – Rs.2350.00 lakhs;
- (ii) "Gregarious Flowering of Muli Bamboos" – Rs.2700.00 lakhs;
- (f) "Environmental Forestry and Wildlife – Wild Life Preservation" –
- (i) "Project Tiger – Assistance to National Parks and Sanctuaries" – Rs.350.00 lakhs;
- (ii) "Project Elephant" – Rs.250.00 lakhs;
- (g) "Environmental Forestry and Wildlife – Zoological Park – Assistance for Development of National Parks and Sanctuaries" – Rs.500.00 lakhs.
- (h) "Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme" -
- (i) "Biosphere Reserve" – Rs.150.00 lakhs;
- (ii) "Mangroves Eco Systems and Wetlands" – Rs.150.00 lakhs; and

(झ) “वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद” - 500.00 लाख रु।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार” - 200.00 लाख रु. व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “3435” - “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमलाप” के अंतर्गत 83.05 लाख रु. के मूल प्रावधान को 250.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 333.05 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो एक्सपो - जरगाजा आयोजन से संबंधित अदायगी न किए जाने के कारण 78.21 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - पर्यावरण और वन मंत्रालय” के अंतर्गत 122.86 लाख रु. की बचत (1533.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2406” - “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - वन्य जीव प्रभाग का सुदृढ़ीकरण और विशेष कार्यों के लिए परामर्शी सेवाएं” - 175.60 लाख रु. की बचत (458.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3435” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण” -

(क) “राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण” -

(i) “Forestry – Education and Training – Indian Council of Forestry Research and Education” – Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on the projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation – Bio-diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement” – Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals.

(II) Under Major Head “3435” – “Environment Research and Ecological Regeneration – International Cooperation – International Cooperation Activities” - the original provision of Rs.83.05 lakhs was augmented to Rs.333.05 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.250.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.78.21 lakhs – due to non-payment in the event EXPO-Zaragaza.

(III) Under Major Head “3451” – “Secretariat – Ministry of Environment and Forests” - saving of Rs.122.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1533.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(IV) Major Head “2406” – “Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation – Strengthening of Wildlife Division and Consultancies for Special Tasks” - saving of Rs.175.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.458.00 lakhs) was due to less requirement of funds under the scheme.

(V) Under Major Head “3435” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Prevention and Control of Pollution” –

(a) “Prevention of Pollution of National Rivers” -

- (i) “राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम” - 3680.45 लाख रु.की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई ।
- (ii) “राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - 1107.28 लाख रु. की बचत (26400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने और दिल्ली में बाह्य सहायताप्राप्त यमुना कार्य योजना चरण-II की धीमी प्रगति होने के कारण हुई ।
- (ख) “वायु और जल प्रदूषण का निवारण - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” - 729.51 लाख रु. की बचत (5525.51 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।
- (खा) “अन्य - अन्य व्यय” -
- (क) “राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली” - 519.81 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रमुख संस्थाओं से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।
- (ख) “सूचना प्रौद्योगिकी” - 1126.85 लाख रु. की बचत (2627.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंकड़ा केंद्र, आपदा समुत्थान केंद्र और कार्यक्रम निगरानी इकाई की परियोजना के पूरा न होने के कारण हुई ।
- (VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 211.20 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक थीं ।
2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6411.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 9538.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-
- (i) “National Lake Conservation Programme” - saving of Rs.3680.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.
- (ii) “National River Conservation Programme” - saving of Rs.1107.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26400.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by state implementing agencies and slow progress of externally aided Yamuna Action Plan Phase II work in Delhi.
- (b) “Prevention of Air and Water Pollution - Central Pollution Control Board” - saving of Rs.729.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5525.51 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Pollution Control Board.
- (B) “Others – Other Expenditure” -
- (a) “National Natural Resource Management System” - saving of Rs.519.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from various premier institutions.
- (b) “Information Technology” - saving of Rs.1126.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2627.00 lakhs) was due to non-completion of project of data centre, disaster recovery centre and programme monitoring unit.
- (VI) Under three heads savings of Rs.211.20 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 18 percent of the sanctioned provision.
- 2.(I) The above savings were partly (Rs.6411.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.9538.00 lakhs under the following major heads:-

- (का) मुख्य शीर्ष "2406" -
- (क) "वानिकी - अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद" - 569.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 568.90 लाख रु. था।
- (ख) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" - 5500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5498.12 लाख रु. था।
- (खा) मुख्य शीर्ष "3435" - "प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण" -
- (क) "वायु और जल प्रदूषण का निवारण - पर्यावरणीय प्राधिकरणों की स्थापना" - 132.12 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 148.92 लाख रु. था।
- (ख) "प्रभाव निर्धारण - स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन" - 210.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 203.57 लाख रु. था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) मुख्य शीर्ष "2406" -
- (क) "वानिकी" -
- (i) "शिक्षा और प्रशिक्षण" -
- (1) "राज्य वन सेवा और रेंजर कालेज" - 150.28 लाख रु. का अधिक व्यय (484.07 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी" - 299.45 लाख रु. का अधिक व्यय (423.39 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ii) "वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग - भारतीय वन सर्वेक्षण" - 359.45 लाख रु. का अधिक व्यय
- (A) Major Head "2406" -
- (a) "Forestry - Research – Indian Council of Forestry Research and Education" - Rs.569.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.568.90 lakhs.
- (b) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation Programme" - Rs.5500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5498.12 lakhs.
- (B) Major Head "3435" – "Prevention and Control of Pollution" -
- (a) "Prevention of Air and Water Pollution – Establishment of Environmental Authorities" – Rs.132.12 lakhs. Actual excess, however, was Rs.148.92 lakhs.
- (b) "Impact Assessment –Development and Promotion of Clean Technology" – Rs.210.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.203.57 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head "2406" -
- (a) "Forestry" -
- (i) "Education and Training" -
- (1) "State Forest Service and Ranger's College" – excess of Rs.150.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.484.07 lakhs);
- (2) "Indira Gandhi National Forest Academy" – excess of Rs.299.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.423.39 lakhs); and
- (ii) "Survey and Utilisation of Forest Resources – Forest Survey of India" -

(730.83 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

- (iii) “वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भव - वन प्रभागों का सुदृढीकरण” - 458.45 लाख रु. का अधिक व्यय (95.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (ख) “वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड” - 316.43 लाख रु. का अधिक व्यय (1244.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।
- (खा) मुख्य शीर्ष “3435” -
- (क) “सर्वेक्षण (वानस्पतिक) - अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय” - 310.62 लाख रु. का अधिक व्यय (447.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान)” -
- (i) “निदेशन और प्रशासन - क्षेत्रीय कार्यालय” - 127.49 लाख रु. का अधिक व्यय (247.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “अनुसंधान” -
- (1) “मुख्यालय कार्यालय” - 173.32 लाख रु. का अधिक व्यय (503.55 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (2) “क्षेत्रीय कार्यालय” - 197.15 लाख रु. का अधिक व्यय (328.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

excess of Rs.359.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.730.83 lakhs).

Excess under the above three heads was due to meet earmarked establishment liabilities.

- (iii) “Forest Conservation, Development and Regeneration - Strengthening of Forests Divisions” - excess of Rs.458.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.95.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for the regional offices of the Ministry to meet committed liabilities.
- (b) “Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation and Eco-Development Board” - excess of Rs.316.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1244.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet earmarked establishment liabilities.
- (B) Major Head “3435” -
- (a) “Survey (Botanical) – Research – Regional Offices” - excess of Rs.310.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.447.80 lakhs);
- (b) “Survey (Zoological)” -
- (i) “Direction and Administration – Regional Offices” - excess of Rs.127.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.247.20 lakhs);
- (ii) “Research” -
- (1) “Headquarters Office” - excess of Rs.173.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.503.55 lakhs); and
- (2) “Regional Offices” - excess of Rs.197.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.328.10 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - पर्यावरणीय/शिक्षा प्रशिक्षण/विस्तार” -

(i) “पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम” - 871.01 लाख रु. का अधिक व्यय (2975.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ii) “राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय” - 252.77 लाख रु. का अधिक व्यय (279.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण” -

(i) “राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय” - 311.90 लाख रु. का अधिक व्यय (168.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ii) “प्रभाव निर्धारण - पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण कार्यक्रम” - 112.36 लाख रु. का अधिक व्यय (135.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को अधिक अदायगियां किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) “अन्य - अन्य व्यय” -

(i) “प्रदूषण के उपशमन, पर्यावरण नीति और विधि के लिए सहायता” - 105.67 लाख रु. का अधिक व्यय (327.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

Excess under the above four heads was due to requirement of additional funds to meet earmarked establishment liabilities.

(c) “Environment Research and Ecological Regeneration - Environmental/Education Training/Extension” -

(i) “Environmental Education and Training Scheme” - excess of Rs.871.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2975.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet the earmarked establishment liabilities.

(ii) “National Museum of Natural History” - excess of Rs.252.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.279.20 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet earmarked establishment liabilities.

(d) “Prevention and Control of Pollution” -

(i) “Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Directorate” - excess of Rs.311.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.168.00 lakhs) was due to meet earmarked establishment liabilities.

(ii) “Impact Assessment - Environmental Impact Assessment Programme” - excess of Rs.112.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.135.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet earmarked establishment liabilities and more payments to expert members of the committee.

(e) “Others – Other Expenditure” -

(i) “Assistance for Abatement of Pollution Environment Policy and Law” - excess of Rs.105.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.327.00 lakhs) was due to

में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "जलवायु परिवर्तन परियोजना" - 138.74 लाख रु. का अधिक व्यय (265.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन और क्षमता निर्माण परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम" -

(1) "जीव-मंडल रिज़र्व" - 149.40 लाख रु. का अधिक व्यय (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) "आर्द्र भूमि" - 197.64 लाख रु. का अधिक व्यय (625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवन" -

(1) "एकीकृत वन परिरक्षण स्कीम" - 2048.50 लाख रु. का अधिक व्यय (4650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) "मुली बांसों का वृंद पुष्पण" - 2077.58 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों को अनुदान" -

(i) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण" -

re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Climate Change Project" - excess of Rs.138.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.265.00 lakhs) was due to meet earmarked establishment liabilities and requirement of additional funds for adaptation and capacity building project on climate change.

(C) Major Head "3601" -

(a) "Grants for Central Plan Schemes" -

(i) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programme" -

(1) "Biosphere Reserves" - excess of Rs.149.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs);

(2) "Wetlands" - excess of Rs.197.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.625.00 lakhs);

(ii) "Forestry - Forest Conservation Development and Regeneration" -

(1) "Integrated Forest protection scheme" - excess of Rs.2048.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4650.00 lakhs);

(2) "Gregarious Flowing of Muli Bamboos" - excess of Rs.2077.58 lakhs (against nil provision);

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(i) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation" -

- (1) “परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सहायता” - 285.94 लाख रु. का अधिक व्यय (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) “परियोजना हाथी” - 198.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ii) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राणिउद्यान - राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता” - 700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above seven heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) पांच शीर्षों के अंतर्गत 400.60 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक था।

(III) Under five heads excess of Rs.400.60 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 21 percent to 46 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “5425”	Major Head “5425”			
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research			
मू.	O.	901.00		
पु.	R.	-68.50	832.50	670.55 -161.95

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) “पारिस्थितिकी और पर्यावरण - नए सिविल निर्माण कार्य” के अंतर्गत 413.10 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पटना में भूमि की खरीद संबंधी प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें “पारिस्थितिकी और पर्यावरण - सिविल इंजीनियरी स्कंध” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं- 182.65 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्दिष्ट स्थापना देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 84.18 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत था।

(I) Under “Ecology and Environment – New Civil Works” – saving of Rs.413.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for purchase of land at Patna and reduction of provision at revised estimates stage.

4.(I) The above savings were partly offset by excess under “Ecology and Environment – Civil Engineering Wing” – excess of Rs.182.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to meet earmarked establishment liabilities.

(II) Under one head excess of Rs.84.18 lakhs occurred constituting 41 percent of the sanctioned provision.